आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

15.09.2020

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-278/2020

राज्य

बनाम

1. बलराम चौहान, पिता मानिक चौहान, सा0-खुश्कीबाग चौहान टोला, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया। (जप्त सुमो विक्टा सं0-BR19B-1577 से गिरफ्तार अभियुक्त।)
2. मो0 आजाद, पिता मो0 इसलाम, सा0-खुश्कीबाग चौहान टोला, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया। (जप्त सुमो विक्टा सं0-BR19B-1577 से गिरफ्तार अभियुक्त।)

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अधीक्षक, मद्य निषेद्य, पूर्णिया के पत्रांक 637/उ0 दिनांक-21.08.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि उक्त वाहन की जांच दिनांक 16.06.17 को समेकित जाँच चौकी दालकोला के पास की गई। जांच के क्रम में उक्त वाहन से 5.520 लीटर विदेशी शराब पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पूर्णिया के न्यायालय में सी0आई0 सं0-1719/2017 दर्ज कराई गई। अधीक्षक, मद्य निषेद्य, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

जप्त वाहन के मालिक का नाम पता उपलब्ध कराने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजा गया जिनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डाटा अप्राप्त रहने के कारण नाम/पता उपलब्ध नहीं है। तत्पश्चात् वाहन के साथ गिरफ्तार विपक्षीगण को अपना पक्ष रखने हेतु ज्ञापांक 2258/विधि दिनांक 26.08.20 द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से नोटिस भेजा गया, जिसे डाक विभाग द्वारा विपक्षी सं0-01 के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्तकर्त्ता घर से बाहर है तथा विपक्षी सं0-02 के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि इस पते पर प्राप्तकर्त्ता को कोई जानता-पहचानता नहीं है।

अधीक्षक, मद्य निषेद्य, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। एक लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी वाहन मालिक द्वारा अपने वाहन की खोजबीन नहीं की गई, जिससे स्पष्ट

होता है कि इस वाद में उन्हें कुछ नहीं कहना है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त सुमो विक्टा सं0-BR19B-1577** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक, मद्य निषेद्य, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्य निषेद्य, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।